- अधिसूचना क्रमांक प. 4 (5) कृषि-4/सह./91 दिनांक 29.1.1998 द्वारा राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से संस्थाओं के प्रत्येक रजिस्ट्रेशन के लिये रजिस्ट्रेशन शुल्क 250/- रुपये के स्थान पर 2500/- रुपये निर्धारित करती है।
- अधिसूचना संख्या प. 4(5)सह/91 दिनांक 11.2.2003 द्वारा प्रदेश में अकाल की स्थिति को देखते हुए पशुधन की सुरक्षा हेतु आदेश की तिथि से पंजीकृत होने वाली प्रत्येक गौ-सेवा समितियों के रजिस्ट्रेशन के लिए पंजीयन शुल्क 100/- रुपये मात्र निर्धारित किया जाता है।
- अधिसूचना संख्या प. 4(5) सह./91/पार्ट दिनांक 7.7.2003 द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20.6.2003 के द्वारा प्रदेश में राजीव गांधी पेयजल मिशन के अंतर्गत सेक्टर रिफार्म प्रोजेक्ट सोसाइटी जलधारा समितियां, भू-जल संरक्षण विभाग के अन्तर्गत वाटर शेड्स कार्यक्रम की क्षेत्रीय समितियों के पंजीयन के लिए जन साधारण की भागीदारी को देखते हुए पंजीयन शुल्क 1000.00 रु. निर्धारित किया गया था, में शिथिलता प्रदान कर सभी पेयजल व्यवस्था से संबंधित समितियों का पंजीयन शुल्क रु. 500/- निर्धारित किया जाता है।
- अधिसूचना संख्या प. 4(5) सह./91/पार्ट दिनांक 30.9.2003 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में नेहरू युवा मण्डल स्थापित किये जाने के रजिस्ट्रेशन के लिए पंजीयन शुल्क 2500/- रु. में शिथिलता प्रदान कर पंजीयन शुल्क 250/- रुपये निर्धारित किया जाता है। घटी हुई राशि की सुविधा केवल उन्हीं नेहरू युवा मण्डलों को दी जावेगी, जो नेहरू युवा केन्द्र के उपनियमों के तहत पंजीकृत हों।

रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर

18.2.14

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत

रजिस्ट्रेशन हेतु

709

आवेदन प्रपत्र

प्राप्ति स्थान

किशोर बुक डिपो

गवर्नमेन्ट प्रेस के सामने, सरदार पटेल मार्ग,
जयपुर-302 001

निर्वाचित प्रबंधकारिणी के अनुमोदन के समय प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का नमूना

शपथ-पत्र

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता एवं अधिकृत पदाधिकारी संस्था मान प्रकाश एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी .... के सशपथ घोषणा करते हैं कि:-

1. हमारी संस्था का पंजीयन सं. .... दिनांक .... है।
2. संस्था में वर्तमान में कुल सदस्य .... हैं।
3. संस्था की आम सभा दिनांक .... को सम्पन्न हुई जिसमें पंजीकृत विधान के अनुसार कार्यकारिणी का निर्वाचन दिनांक .... को हुआ। निर्वाचन् कार्यकारिणी दो वर्ष के लिए चुनी गई है, जिसकी सूचना प्रमाणीकरण हेतु शपथ-पत्र के साथ संलग्न है।
4. संस्था की उपर्युक्त कार्यकारिणी के निर्वाचन एवं संस्थान के सम्बन्ध में आम सभा सदस्य कार्यकारिणी के तथ्य किसी प्रकार का विवाद नहीं है।
5. प्रबन्धकारिणी विधान की प्रमाणित प्रतिलिपि आगामी कार्यक्रमों आदि में प्रस्तुत करने हेतु चाहिए।
6. संस्था की कार्यकारिणी के निर्वाचन हेतु आमंत्रित आम सभा दिनांक .... को सूचना का नोटिस दिनांक .... को समस्त सदस्यों को सूचनार्थ जारी कर दिया गया था।
7. भविष्य में उक्त बिन्दु संख्या 1 से 6 तक तथ्यों के विपरीत किसी प्रकार का विवाद प्रकाश में आने पर दी गई प्रमाणित प्रतियों को निरस्त करने का रजिस्ट्रार संस्थायें, ... को पूर्ण अधिकार होगा।
8. संस्था के विधान में कोई संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन नहीं किया है।

अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष

सत्यापन

हम उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करते हैं कि बिन्दु संख्या 1 से 8 तक के तथ्य हमारी जानकारी में सही हैं, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कोई जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें, ... को पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा। ईश्वर साक्षी है।

अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष

नोट :- निर्वाचित प्रबन्धकारिणी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले पत्रादि के साथ संस्था के किसी एक अधिकृत पदाधिकारी द्वारा शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप के अनुसार 10/- रुपये के स्टाम्प पर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित कर प्रस्तुत किया जावे।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

विधान/संशोधन से संबंधित निम्न सूचनाऐं प्रस्तुत करें

1. संस्था की कार्यकारिणी द्वारा संस्था के विधान में संशोधन/परिवर्तन अथवा परिवर्धन के विचारार्थ बुलाई गई विशेष साधारण सभा में भाग लेने के लिए सदस्यों को भेजे गये नोटिस की एक प्रति।
2. उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:-

क्र.सं.	संस्था की कुल सदस्य संख्या	बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या	विधान के अनुसार बैठक का कोरम	कितने सदस्यों ने संशोधन के पक्ष में मत दिया	कितने सदस्यों ने संशोधन के विपक्ष में मत दिया।

3. संस्था की उक्त बैठक की कार्यवाही व इस बैठक में संशोधन हेतु पारित प्रस्ताव की सत्यप्रतिलिपि।
4. संस्था की उक्त विषयक साधारण सभा के एक माह बाद पूर्व में संशोधन हेतु बुलायी गयी विशेष आमसभा में लिये गये निर्णय की पुष्टि हेतु संस्था की बुलाई गई द्वितीय विशेष साधारण सभा में भाग लेने के लिए सदस्यों को भेजे गये नोटिस की प्रति।
5. द्वितीय विशेष साधारण सभा की बैठक की कार्यवाही की सत्य प्रति।
6. कुल सदस्य संख्या/उपस्थित सदस्यों की संख्या/विधानानुसार उपस्थित सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के द्वारा संस्था की प्रथम विशेष साधारण सभा के द्वारा स्वीकृत संशोधन के लिए सम्पुष्टि की प्रमाणित प्रति।
7. संस्था के तीन पदाधिकारियों के द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र

हम निम्नहस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि संस्था के विधान में परिवर्तन, परिवर्द्धन व संशोधन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 4 व 12 के अनुसार ही किया गया है।

8. तुलनात्मक स्टेटमैन्ट निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	विधान की धारा संख्या	पंजीकृत विधान का नियम	विधान में संशोधित किया गया नियम (नया नियम)

9. संस्था के संशोधित विधान की तीन पदाधिकारियों द्वारा प्रमाणित तथा प्रत्येक पृष्ठ पर तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षरयुक्त प्रति जिसमें समस्त संशोधन यथा स्थान अंकित किये गये हों।
10. भाग परिवर्तन की संबंधित 7 सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षरों से एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें, साथ ही मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार :– संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे :–

1–अध्यक्ष 5000/– रु.

2–मन्त्री 10,000/– रु.

3–कोषाध्यक्ष 5000/– रु.

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

1. संस्था का पंजियन क्रमांक ... 319
2. संस्था का नाम ... [illegible]
3. निरस्त दस्तावेज ...
4. दस्तावेज की संख्या ... 16
5. दिनांक ... 24/2/14
रजिस्ट्रार संस्थाएं

18. संस्था की अंकेक्षण :– संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार संस्थाएं को प्रस्तुत करने होंगे।

19. संस्था के विधान में परिवर्तन :– संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

राज. संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 धारा 19 के तहत

20. संस्था का विघटन :– यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित करदी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। रजिस्ट्रार संस्थाएं को पंजीयन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

यह प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्था विषय में दाखिल कराये गये दस्तावेज जो पृष्ठ सं. 1 से पृष्ठ सं. 20 तक है, की सत्यप्रति है। 25/2/14

21. संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण :– रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर को संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

1 नकल देने की दिनांक प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) ओम प्रकाश एजुकेशन ट्रस्ट
2 नकल लेने वाले का नाम समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था की सही व सच्ची प्रति है।
वाले के हस्ताक्षर ....

रजिस्ट्रार संस्थाएं
जयपुर

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

शपथ–पत्र का प्रपत्र

फोटो

मैं .... पुत्र ....
आयु .... निवासी ....
[अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष] प्रस्तावित संस्था ....
.... का सशपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि:–

1. हमारी प्रस्तावित संस्था .... के पंजीयन हेतु कुल .... आवेदक सदस्य हैं।
2. हमारी प्रस्तावित संस्था के नाम पते पर पूर्व में इस क्षेत्र में कोई संस्था पंजीकृत नहीं है। आवेदक सदस्य अन्य किसी समान उद्देश्य वाली संस्था/समिति के सदस्य/पदाधिकारी नहीं है।
3. प्रस्तावित संस्था की विधान नियमावली की बिन्दु सं. 2 व 3 के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में निहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गठित की गई है।
4. धारा 3 में वर्णित उद्देश्य सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अन्तर्गत आते हैं, के अनुसार संस्था की कार्यकारिणी एवं पंजीकृत उद्देश्यों की पूर्ति में किसी प्रकार का लाभ निहित नहीं होगा।
5. प्रस्तावित संस्था द्वारा कोई व्यवसायिक गतिविधियां, व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने हेतु गठित नहीं की गई और न ही किसी प्रकार का लाभ सदस्यों में वितरण होगा।
6. प्रस्तावित संस्था किसी भी परिस्थिति में व्यवसायिक रूप से कार्य नहीं करेगी तथा न ही इसमें किसी प्रस्तावक सदस्य का निजी व्यक्तिगत लाभ निहित होगा।
7. यदि भविष्य में किसी भी समय इस तथ्य की अवहेलना होना पाया जावेगा तो रजिस्ट्रार संस्थायें, ... को पंजीकृत संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।
8. भविष्य में उक्त बिन्दु सं. 1 से 7 में अंकित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें, ... को इस संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।

अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करता हूँ कि बिन्दु सं. 1 से 8 के तथ्य मेरी जानकारी से सही हैं, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कोई जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें, ... को पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा। ईश्वर साक्षी है।

अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष

नोट :– प्रस्तावित संस्था के तीन पदाधिकारियों द्वारा पृथक्–पृथक् शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप के अनुसार 10/– रुपये के पृथक्–पृथक् स्टाम्प पर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित कर प्रस्तुत किये जावें। शपथ पत्र पर शपथ ग्रहणकर्ता की पासपोर्ट साईज फोटो चस्पाकर प्रमाणित करवायी जावे।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

14. कार्यकारिणी की बैठकें :–

1- कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठकें अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2- बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।

3- बैठक की सूचना प्राय: 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।

4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुन: दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य :–

संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगे :–

1-अध्यक्ष :

1- बैठकों की अध्यक्षता करना।

2- मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।

3- बैठकें आहूत करना।

4- संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

5- संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2-उपाध्यक्ष :

1- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

2- प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3-मन्त्री :

1- बैठकें आहूत करना।

2- कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

3- आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।

4- वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।

5- संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।

6- पत्र व्यवहार करना।

7- सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

4-उपमंत्री :

1- मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।

2- अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें।

5-कोषाध्यक्ष :

1- वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।

2- दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।

3- चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।

4- अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोष :–

संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :–

1- चन्दा

2- शुल्क

3- अनुदान

4- सहायता

5- राजकीय अनुदान

1- उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी।

2- अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन-देन संभव होगा।

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8. साधारण सभा:– संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9. साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य :– साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्त्तव्य होंगे :–

1- प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।

2- वार्षिक बजट पारित करना।

3- प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।

4- संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना।
(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।

10. साधारण सभा की बैठकें :–

1- साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।

3- बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जावेगी।

4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।

5- संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

11. कार्यकारिणी का गठन :– संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जावेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :–

1. अध्यक्ष-एक 2. उपाध्यक्ष-एक

3. मन्त्री-एक 4. कोषाध्यक्ष-एक

5. सदस्य-~~सात~~ ग्यारह

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में ......4...... पदाधिकारी व ......11...... सदस्य कुल ......15...... सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन :–

1- संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।

2- चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।

3- चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य :– संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्त्तव्य होंगे :–

1- सदस्य बनाना/निष्कासित करना।

2- वार्षिक बजट तैयार करना।

3- संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।

4- वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।

5- साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।

6- कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।

7- अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
37.				
38.				
39.				
40.				

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

(साक्षी)
1. हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

(साक्षी)
2. हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

ATTESTED
NOTARY PUBLIC JAIPUR (RAJ.)
17 FEB 2014

नोट : शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित करानी होगी।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

मान प्रकाश एजुकेशन एण्ड वेलफेयर समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

विधान (नियमावली)

1. संस्था का नाम:- इस संस्था का नाम मान प्रकाश एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसाइट समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।
2. पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र:- इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय B-50, तुलसीनगर शास्त्रीनगर जयपुर तथा इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान क्षेत्र तक सीमित होगा।
3. संस्था के उद्देश्य:- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

1. बालक बालिकाओ को शिक्षा हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना।
2. महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम तथा प्रौढ शिक्षा कार्यों को बढावा देना
3. पर्यावरण सुरक्षा सम्बन्धी प्रसार प्रचार तथा पर्यावरण सुरक्षा के लिए उपाय करना।
4. गरीब विकलांग छात्र-छात्राओं को शिक्षा के प्रति अधिक से अधिक प्रेरित करना
5. सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं को विद्यालयों एवं अन्य संस्थानो में लागू करवाना।
6. तकनीकी शिक्षा को बढावा देने के लिए ITI कालेज, पोलोटेकनिक कालेज इन्जिनियरिंग कॉलेज खोलना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

7. उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कॉलेज खोलना।

8. विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी के विकास के लिए संस्थाओं को दिये जाने वाली सहायता के द्वारा कार्यक्रमों का संचालन करना।

9. देश के छोटे बड़े N.G.O से जुड़कर या जोड़कर विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम चलाना।

10. सड़क सुरक्षा के कार्यक्रमों का आयोजन करना व उनको बढ़ावा देना।

11. वैश्याओं तथा पथ भ्रमित महिलाओं को सही रास्ते पर लाना तथा उनके पुनर्वास के कार्यक्रमों का संचालन करना।

12. जन स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगार के कार्यक्रमों का आयोजन करना।

13. अल्पसंख्यकों के कल्याण तथा विकास की योजनाओं को लागू करना तथा बढ़ावा देना।

14. सूचना का अधिकार कानून का प्रचार प्रसार करना।

15. जेल में बन्द तथा मुक्त लोगों के विकास व कल्याणकारी योजनाओं को चलाना व कानूनी सहायता देना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

4. सदस्यता :— निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे:—
1- संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।
2- बालिग हों।
3- पागल, दीवालिये न हों।
4- संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।
5- संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5. सदस्यों का वर्गीकरण :— संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :—
1-संरक्षक
2-विशिष्ठ
3-सम्माननीय
4-साधारण
(जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)

6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा :— उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :—
1-संरक्षक राशि 2100/- वार्षिक/आजन्म
2-विशिष्ठ राशि 1100/- वार्षिक/आजन्म
3-सम्माननीय राशि 500/- वार्षिक
4-साधारण राशि 251 वार्षिक

उक्त राशि एक मुश्त अथवा रु. .... को मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।

7. सदस्यता से निष्कासन :— संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :—
1-मृत्यु होने पर
2-त्याग-पत्र देने पर
3-संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
4-प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं :-

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	रमेश चन्द्र गुर्जर S/o मान प्रकाश गुर्जर	एडवोकेट	B-50 तुलसी नगर शास्त्री नगर जयपुर	[illegible]
2.	प्रदीप कसाणा S/o हनुमान सहाय	नौकरी	V/P नैनाडा त० बस्सी जिला जयपुर PIN-303301	[illegible]
3.	धीरज पारीक S/o शशीकांत पारीक	नौकरी	कमल कुंज पुरोहित पाडा ब्रह्मपुरी जयपुर	[illegible]
4.	विक्रम पटेल S/o उदय सिंह	अध्ययन	145 गैंदा वाली वाडी त० कोटपूतली जिला-जयपुर	[illegible]
5.	सुरेन्द्र कुमार मीणा S/o जयलाल मीणा.	अध्ययन	56, गाँव बौसीना त० वैर जिला भरतपुर	[illegible]
6.	तारा चन्द S/o मुरलीधर	कृषि	ग्राम रूण्डल त० आमेर जिला - जयपुर	[illegible]
7.	सुरेन्द्र कुमार S/o शिव लाल	अध्ययन	133 नौरंग वाडा त० महुवा जिला दौसा	[illegible]
8.	राजेन्द्र बैंसला S/o मालीराम	एडवोकेट	51 ढाणी सुराजी रतननगर त० नीमका थाना जि० सीकर	[illegible]
9.	देवकरण रावत S/o भगवान सहाय	शिक्षक	कटारियों का बास हाजीपुर त० बानसूर जिला अलवर	[illegible]

8

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
10.	गिरीज प्रसाद S/o बिरदा राम	एडवोकेट	44 जगनाथपुरा गुलाजी की ढाणी त० आमेर जिला-जयपुर	[illegible]
11.	कुणाल खण्डेलवाल S/o रमाकांत खण्डेलवाल	व्यापार	27 प्रताप नगर शास्त्री नगर जयपुर PIN-302016	[illegible]
12.	मुरलीधर सूद S/o महावीर प्रसाद	शिक्षक	V/P सेवरा त० विराटनगर जिला- जयपुर	[illegible]
13.	[illegible] कुमार S/o सुन्दर लाल	व्यापार	V/P कोट त० शाहपुरा जिला - जयपुर	[illegible]
14.	महेश कुमार पंचौली S/o रामेश्वर प्रसाद	एडवोकेट	जोबनेर माता के मंदिर के पास पुरोहित पाडा ब्रह्मपुरी जयपुर	[illegible]
15.	राकेश तंवर S/o श्री छीतरमल	शिक्षक	ग्राम- माधोकाबास पोस्ट देवन त० शाहपुरा जिला- जयपुर	[illegible]
16.	विष्णु कुमार S/o शंकरलाल	नौकरी	P.No- E-4 प्रताप नगर शास्त्री नगर जयपुर	[illegible]
17.	लोकेन्द्र सिंह शेखावत S/o श्री बजरंगसिंह	नौकरी	P.No.-6 प्रताप नगर शास्त्री नगर	[illegible]
18.	कुन्दनलाल S/o भगवानसहाय	व्यापार	वार्ड नं० 2 त० कोटपूतली जिला जयपुर	[illegible]

9

[illegible] अध्यक्ष | [illegible] मंत्री | [illegible] कोषाध्यक्ष

[illegible] अध्यक्ष | [illegible] मंत्री | [illegible] कोषाध्यक्ष

4. संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :-

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	रमेश चन्द गुर्जर S/o मान प्रकाश गुर्जर	एडवोकेट	B-50 तुलसी नगर शास्त्री नगर जयपुर	मंत्री
2.	प्रदीप कसाणा S/o हनुमान सहाय	सर्विस	V/P कैलाड़ा त० बस्सी जिला जयपुर PIN 303301	उपाध्यक्ष
3.	धीरज पारीक S/o शशीकांत पारीक	नौकरी	कमल कुंज, पुरोहित पाड़ा ब्रहमपुरी जयपुर	अध्यक्ष
4.	विक्रम पटेल S/o उदय सिंह	[illegible]	145 गोदावाली वार्ड नं. 12 त० कोटपुतली जिला जयपुर	कोषाध्यक्ष
5.	सुरेन्द्र कुमार मीणा S/o जयलाल मीणा	अध्ययन	56, गाँव भैसीना त० वैर जिला भरतपुर	सदस्य
6.	तारा चन्द S/o मुरलीधर	कृषि	ग्राम रूण्डल त० आमेर जिला - जयपुर	सदस्य
7.	सुरेन्द्र कुमार S/o शिवलाल	अध्ययन	133 नौरंग वाड़ा त० महुवा जिला दौसा	सदस्य
8.	राजेन्द्र बैंसला S/o मालीराम	एडवोकेट	51 ढाणी सूराजी रतननगर त० नीमकाथाना जि० सीकर	सदस्य
9.	देवकरण रावत S/o भगवान सहाय	शिक्षक	कटारियो का बास हाजीपुर त० मानपुर जिला अलवर	सदस्य

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
10.	गिरिराज प्रसाद S/o बिरदा राम	एडवोकेट	44 जमनापुरा गुलाजी की ढाणी त० आमेर जिला-जयपुर	सदस्य
11.	कुणाल खण्डेलवाल S/o रमाकांत खण्डेलवाल	व्यवसाय व्यापार	27 प्रताप नगर शास्त्री नगर जयपुर PIN-302016	"
12.	मुरलीधर सूद S/o महावीर प्रसाद	शिक्षक	V/P सेवरा त० विराटनगर जिला जयपुर	"
13.	अशोक कुमार S/o सुन्दर लाल	व्यापार	V/P काट, त० शाहपुरा जिला जयपुर	"
14.	महेश कुमार पचौली S/o रामेश्वर प्रसाद	एडवोकेट	[illegible] पुरोहित पाड़ा ब्रह्मपुरी जयपुर	"
15.	राकेश तंवर S/o श्री छीतर मल	शिक्षक	ग्राम माधोकाबास पोस्ट देवन त० शाहपुरा जिला जयपुर	"

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

मान प्रकाश एजुकेशन एण्ड वेलफेयर समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

संघ विधान-पत्र

1. संस्था का नाम:- इस संस्था का नाम मान प्रकाश एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2. पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र:- इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय B-50 तुलसी नगर शास्त्री नगर जयपुर है तथा इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. संस्था के उद्देश्य:- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1. बालक बालिकाओ को शिक्षा हेतु शिक्षण संस्थाओ की स्थापना करना।
2. महिला एव बाल-विकास कार्यक्रम तथा प्रौढ शिक्षा कार्यों को बढावा देना
3. पर्यावरण सुरक्षा सम्बन्धी प्रसार-प्रचार तथा पर्यावरण सुरक्षा के लिए उपाय करना।
4. गरीब विकलांग छात्र-छात्राओ को शिक्षा के प्रति अधिक से अधिक प्रेरित करना
5. सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओ को विधालयो एव अन्य संस्थानो मे लागू करवाना।
6. उच्च शिक्षा को बढावा देने के लिए कालेज खोलना

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

7. तकनीकी शिक्षा को बढावा देने के लिए I.T.I कालेज, पोलोटेक्निक कालेज इन्जिनियरिंग कॉलेज खोलना।
8. विज्ञान एव प्रौद्योगिकी के विकास के लिए संस्थाओ को दी जाने वाली सहायता के द्वारा कार्यक्रमो का संचालन करना
9. देश के छोटे बडे N.G.O से जुडकर या जोडकर विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम चलाना।
10. सड्क सुरक्षा के कार्यक्रमो को आयोजित करना व उनको बढावा देना।
11. वैश्याओ तथा पथ भ्रमित महिलाओ को सही रास्ते पर लाना तथा उनके पुनर्वास के कार्यक्रमो का संचालन करना
12. जनस्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगार पर कार्यक्रमो का आयोजन करना।
13. अल्पसंख्यको के कल्याण तथा विकास की योजनाओ को लागू करना तथा बढावा देना
14. सूचना का अधिकार कानून का प्रचार-प्रसार करना।
15. जेल मे बन्द तथा मुक्त लोगो के विकास व कल्याणकारी योजनाओ को चलाना व कानूनी सहायता देना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत संस्था पंजीकृत कराने हेतु आदर्श

संघ-विधान पत्र तथा विधान (नियमावली)

कृपया आवेदन करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखें:-

1. यह आदर्श विधान (नियमावली) व संघ विधान पत्र केवल मार्गदर्शन के लिए है। संस्था के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र अथवा संस्था के प्रबन्धन के स्वरूप के अनुसार इसमें आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन तभी मान्य होगा, जबकि वह सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के प्रतिकूल न हो।
2. प्रबन्धकारिणी में सृजित पद संस्था के अनुरूप घटाये या बढ़ाए जा सकते हैं। पद के नाम भी परिवर्तित किये जा सकते हैं, किन्तु प्रबन्धकारिणी में न्यूनतम 3 पदाधिकारी होना आवश्यक है।
3. संस्था के उद्देश्य सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अनुरूप ही होने आवश्यक हैं। सूचिका क्रमांक 9 पर धारा 20 अंकित है।
4. रिक्त स्थानों की पूर्ति संस्था द्वारा ही की जानी है।
5. आवेदन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था के तीन-तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर करवाया जाना आवश्यक है।
6. संघ विधान पत्र में क्रम संख्या 4 में संस्था की प्रबन्धकारिणी का विवरण ही अंकित करना है तथा क्रम संख्या 5 पर सभी आवेदक सदस्यों के नाम/पिता का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करवाये जावें। यह भी ध्यान रखें कि कम से कम ... द्वारा आवेदन करने पर ही संस्था पंजीकृत की जावेगी।
7. संघ विधान पत्र के अन्त में 2 साक्षियों के हस्ताक्षर करावें। साक्षीगण संस्था के सदस्य नहीं होने चाहिये।
8. अनावश्यक को काट कर हस्ताक्षर करें।
9. धारा-20 : सोसाइटियां जिनका रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम के अधीन किया जा सकेगा:- इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित सोसाइटियों की रजिस्ट्री की जा सकेगी अर्थात्:-
पूर्त प्रयोजनों के लिए स्थापित सोसाइटियां, सैनिक अनाथ निधियां, [1][खादी और ग्रामोद्योग], साहित्य, विज्ञान या ललित कलाओं की प्रोन्नति के लिये स्थापित सोसाइटियां, शिक्षण या उपयोगी जानकारी अथवा राजनीतिक शिक्षा के प्रसार के लिये स्थापित सोसाइटियां सदस्यों के साधारण प्रयोग के लिये या जनता के लिये खुले पुस्तकालयों या वाचनालयों के प्रतिष्ठान या अनुरक्षण और रंगचित्रों और अन्य कलाकृतियों के लोक संग्रहालयों और गैलरियों के लिए स्थापित सोसाइटियां, प्राकृतिक इतिहास के संकलनों और यांत्रिक और दार्शनिक आविष्कारों, लिखितों या अभिकल्पनाओं के लिये स्थापित सोसाइटियां।
10. राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर उसमें दिये गये निर्देशों की पूर्ति करते हुये विधान पत्र एवं विधान नियमावली के अनुसार ही प्रस्तुत किये जावें।
11. आवेदन पत्र के साथ अध्यक्ष, मन्त्री एवं कोषाध्यक्ष अथवा किन्हीं तीन पदाधिकारियों चाहे वे किसी भी पदनाम से जाने जावें, के पहचान कार्ड की फोटो कापी/शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र एवं संलग्न संस्था के तीन पदाधिकारियों द्वारा पृथक-पृथक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप के अनुसार 10/- रुपये के पृथक-पृथक स्टाम्प पर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करा प्रस्तुत किये जावें। शपथ पत्र पर शपथ ग्रहणकर्ता की पासपोर्ट साइज फोटो चस्पा की जाकर प्रमाणित करवायी जावे।
12. आवेदन पत्र अधिकृत पदाधिकारी के द्वारा ही प्रस्तुत किया जावे। अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।

1. राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4 (क) दिनांक 17-5-1995 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

13. आवेदन पत्र का पृष्ठ 12 नोटरी पब्लिक तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिये तथा शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित होना चाहिये।
14. ग्राम, मोहल्ला, कालोनी, विकास समितियाँ, नवयुवक मण्डल के पंजीयन हेतु आवेदित प्रार्थना पत्र में कार्य क्षेत्र के 60 प्रतिशत निवासी आवेदक सदस्य होने चाहिये।
15. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र व्यक्तिगत रूप से अधिकृत पदाधिकारी द्वारा पंजीयन हेतु पत्रावली (फाईल) के रूप में जिले के रजिस्ट्रार संस्थाएँ को व्यक्तिगत रूप से अथवा उनके कार्यालय में पत्र प्राप्ति शाखा में प्रस्तुत की जावे।
16. पंजीकृत संस्था के मूल पंजीयन पत्रादि अधिकृत पदाधिकारी/शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारियों को देय होंगे।
17. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबन्धकारिणी सदस्यों में से कम से कम तीन व्यक्ति शिक्षण कार्य अनुभव वाले होने चाहिये।
18. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबंधकारिणी सदस्यों में से एक सदस्य बी.एड. एवं दो सदस्य ग्रैजुएट होने आवश्यक हैं।
19. अन्य संस्थायें जिनके द्वारा शिक्षण, तकनीकी या अन्य कार्य जिसका की प्रशिक्षण दिया जाना है योग्यता या अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना उपयुक्त रहेगा।
20. रजिस्ट्रेशन फीस संबंधी अधिसूचनाएं पृष्ठ 24 पर देखें।

नोट :	रजिस्ट्रार संस्थाएँ द्वारा पंजीयन शुल्क जमा कराने के आदेश प्रदान किये जाने के उपरान्त ही पंजीयन शुल्क रजिस्ट्रार संस्थाएं के हस्ताक्षर से ही जमा कराया जावे।

सेवा में,

श्रीमान् रजिस्ट्रार संस्थायें,

जयपुर

विषय : संस्था पंजीकरण हेतु।

महोदय,

निवेदन है कि हम आवेदकगण जिनका विवरण संलग्न संघ विधान पत्र में अंकित है "मान प्रकाश एज्युकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी" के नाम से राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के तहत संस्था पंजीकृत करवाने के इच्छुक हैं।

कृपया हमारी संस्था का पंजीयन करने का आदेश प्रदान कर अनुगृहित करें।

भवदीय

(अध्यक्ष/मंत्री)

संलग्न : संघ विधान पत्र
तथा विधान (नियमावली)